

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर ।

पीठासीन अधिकारी :- कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 01/196

तारीख दायर :- 14/08/2018

उनवान

2018
00341

1. रामगोपाल पुत्र श्योराम जाति मीना निवासी बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान ।
-वादी ।

बनाम

- राजेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान ।
- विजय पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान ।
- शंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान ।
- रामधन पुत्र गणेश जाति मीना निवासी बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान ।
-असल प्रतिवादीगण ।
- राजस्थान सरकार जय्ये तहसीलदार थानागाजी भू-स्वामी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान ।

- तकमीली प्रतिवादी ।

॥ दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 ॥

उपस्थिति :-

- श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट वादी ।
- कोई उपस्थित नहीं एडवोकेट प्रतिवादीगण ।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

न्यायालय द्वारा :-

संशोधित पर्चा डिक्री


दिनांक 12.02.2019

तहसीलदार थानागाजी की कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा वादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पक्षकारान	विवादित आराजी वाकै बल्लूवास
1.	रामगोपाल पुत्र श्योराम कौम मीना सा. देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा गोला का बास मु0वि0क0 - वादी।	आ.ख.नं. 161 रकबा 0.35 है0 245/1 रकबा 0.19 है0, 794 रकबा 0.20 है0, 795/1 रकबा 0.20 है0, 787 रकबा 0.29 है0, 789 रकबा 0.19 है0, 797/1 रकबा 0.26 है0 किता 7 रकबा 1.68 है0
2.	राजेश, विजय, शंकर लाल पिता लक्ष्मीनारायण हि0 1/2 रामधन पुत्र गणेश हि0 1/2 कौम मीना सा. देह राहिन आर.जी.बी. शाखा अजबगढ मु0वि0 प्रतिवादीगण	आ.ख.नं. 155 रकबा 0.21 है0 156 रकबा 0.15 है0 , 158 रकबा 0.23 है0, 159 रकबा 0.11 है0, 160 रकबा 0.28 है0 241 रकबा 0.23 है0, 792 रकबा 0.35 है0 245/ 2 रकबा 0.15 है0 788 रकबा 0.42 है0, 793 रकबा 0.15 है0 795/2 रकबा 0.08, 796 रकबा 0.72 है0 797/2 रकबा 0.27 है0 किता 13 रकबा 3.35 है0
3.	शामलात	आ.ख.नं. 782 रकबा 0.05 है0 किता 1 रकबा 0.05 है0

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

कै.  द्वितीय (आर.ए.एस.)
थानागाजी (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी